

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

हरदेव सिंह बनाम दलीप सिंह आदि

संख्या 305 / 2023 अन्तर्गत धारा 188, 192A RTA

क्र	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर एवं दिनांक जो इस आदेश की पालना में जारी हुए
28 <sup>3</sup> / <sub>25</sub>	वादी अधिवक्ता उपस्थित। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03/04/25 को पेश हो।	
03 <sup>04</sup> / <sub>25</sub>	वादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी अधिवक्ता के द्वारा वादपत्र अन्तर्गत धारा 188, 192A RTA पर की गई बहस पर मुनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी का वादपत्र भली-भांति साबित होने पर स्वीकार किया जाता है। पच डिग्री इस आदेश का जारी हो। पच डिग्री की एक प्रति TDR KPR को पालनाथ प्रेषित हो। पत्रावली निगीत होकर गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)